एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 2803/2007
अब्दुल रसीद बनाम एडीशनल सिविल जज व अन्य

25.5.2007

माननीय न्यायाधिपति श्री मोहम्मद रफीक

श्री अखिल सिमलोट, अधिवक्ता याची की ओर से।
श्री जे.पी.गोयल, अधिवक्ता अयाची संख्या 2 की ओर से।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया।

याची ने इस याचिका में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.3.2007 को चुनौती दी है। उक्त आदेश से अधीनस्थ न्यायालय ने याची, जो कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी है, के द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1अ(3) सपठित धारा 151 दीवानी प्रक्रिया संहिता को खारिज किया है। उक्त आवेदनपत्र में याची ने न्यायालय से यह प्रार्थना की थी कि दो वकालतनामों की प्रमाणित प्रतिलिपि, जो पक्षकारान के मध्य किसी अन्य दावे तथा उस दावे में पारित हुए आदेश के विरुद्व प्रस्तुत की गयी अपील में पेश किये गये थे, को अभिलेख पर लिये जाने की प्रार्थना की गयी थी। यघपि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दावे में विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये वकालतनामे को अभिलेख पर लेने की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, किन्तु जहां तक अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये वकालतनामे का प्रश्न है वह इस आधार पर निरस्त कर दिया कि उसमें काट छांट अवश्य की गयी है परन्तु प्लाट संख्या 3 मोहल्ला इच्छावतान दर्ज नहीं किया गया है। याची ने उक्त वकालतनामे की प्रमाणित प्रति की एक फोटो प्रति न्यायालय के समक्ष पेश की, जिससे यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय द्वारा की गयी उक्त टिप्पणी सही प्रतीत नहीं होती।

अत: इस प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए रिट याचिका स्वीकार की जाती है तथा जो प्रार्थनापत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, उसे विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वकालतनामे के बारे में भी स्वीकार किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि उक्त वकालतनामे को अभिलेख पर

रखा जाय। किन्तु याची इस बाबत अयाचीगण को मात्र 500/- रुपये हर्जाने के तौर पर अदा करेगा। यदि अयाचीगण अपनी ओर से प्रतिरक्षा में कोई दस्तावेज पेश करना चाहे तो इस बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र पेश करने के लिये स्वतंत्र होंगे।

(मोहम्मद रफीक)
न्यायाधिपति